तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रहलाद मीना बनाम सीताराम मीना अपील संख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2023/548	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.01.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित। उन्हे प्रकरण में कई बार रूक–रूककर बार–बार आवाजें दिलवाई गई उसके उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नही हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर हैं कि अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 सपठित धारा 195 सीआरपीसी 1973 के तहत प्रस्तुत किया गया है किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी न्यायालय हाजा के पत्रादि की नियमानुसार प्रतिलिपियॉ प्राप्त कर वांछित अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजाही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (असलम शेर खान) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर।	